**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय  
रक्षा विभाग**

**राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 651**

**17 दिसम्बर, 2018 को उत्तर के लिए**

**रक्षा संपत्ति को उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित किया जाना**

**651. चौधरी सुखराम सिंह यादव :**

**श्री विशम्भर प्रसाद निषाद :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय नियमानुसार और लखनऊ दिवानी न्यायालय के उत्तराधिकारी संबंधी आदेशों के अनुसार 9, गुरु गोबिन्द सिंह मार्ग, एचओआर को 'लीगल एयर्स ट्रस्ट' को हस्तांतरित करेगी ;

(ख) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या एएफएमएसडी और एमईपीटीए ने बास्केटबॉल/वॉलीबॉल/अनधिकृत साइकिल/कार पार्किंग के लिए इस संपत्ति का अतिक्रमण किया है, यदि हां, तो ये अतिक्रमण कब तक हटाए जाएंगे ?

**उत्तर  
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सुभाष भामरे)**

(क) और (ख): दीवानी न्यायाधीश (ज्येष्ठ प्रभाग), लखनऊ ने श्री एम.सी. भूटानी, सुश्री शांता भूटानी एवं स्वर्गीय एल.डी. भूटानी को उत्तराधिकारी माना है और इनका नामांतरण किया जा सकता है यदि यह भारतीय कानून के खिलाफ नहीं है । इसमें विधिक पुनरीक्षण की आवश्यकता होगी ।

(ग): यह संपत्ति सर्वे संख्या 450 पर जबकि बॉस्केट बाल/वॉलीबॉल/साइकिल/कार पार्किंग/ एमईपीटीए सर्वे संख्या 368 एवं 452 पर स्थित है ।

\*\*\*\*